Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

युवा उद्यमियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के अवसरों में जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका बड़वानी जिले के सन्दर्भ में

डॉ. सपना सोनी[2]
प्राध्यापक वाणिज्य संकाय
शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी (म.प्र.) 451551
अंकुर कनौजिया[1]
रिसर्च स्कॉलर वाणिज्य संकाय,
शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी (म.प्र.) 451551

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बड़वानी जिले में युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की भूमिका का समग्र विश्लेषण करना था। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग करते हुए द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि बड़वानी जिला मुख्यतः कृषि प्रधान एवं ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभिन्न योजनाओं, वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण, परियोजना प्रतिवेदन निर्माण तथा भूमि आवंटन जैसी सुविधाओं के माध्यम से युवाओं को उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप जिले में उद्योगों की संख्या, पूंजी निवेश तथा रोजगार सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाई है, किंतु योजनाओं के व्यापक प्रचार, वित्तीय सहायता की सुगमता तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की अभी भी आवश्यकता बनी हुई है, जिससे स्वरोजगार के अवसरों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

मुख्य शब्द– युवा, स्वरोजगार, उद्योग केन्द्र, रोजगार के अवसर

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

1. प्रस्तावना

किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत तभी किया जा सकता है, जब उस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत तभी किया जा सकता है, जब उस देश का मानवीय साधन मजबुत हो। क्योंकि मानवीय साधन ही मूर्त एवं अमूर्त साधनों का निर्माण कर जीवन के नए–नए आयामों को जन्म देते है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र के विकास के लिए वहां के युवा उद्यमियों को सही मार्गदर्शन तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करके उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार समय–समय पर अनेक ऐसी संस्थाओं एवं योजनाओं को संचालित करती है, जिनसे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने एवं उपनी जीवीका चलाने में सहायता प्रदान करती है। इन्हीं में से एक संस्था है जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जो अपने जिले से सम्बन्धित लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने में युवाओं को सहायता प्रदान करती है। क्योंकि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश की 29 प्रतिशत आबादी इन्हीं उद्योगों में लगी हुई है।

सुक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम एमएसएमई देश की जीडीपी का लगभग 8 फीसदी, विनिर्माण उत्पादन का 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत योगदान देते है। ये उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले है। ये उद्यमशीलता और नवीनता के लिए एक छत है। वर्तमान में एसएमई को एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार परिभाषित किया जाता है। सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को विश्व भर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। भारत के मामले में भी मध्यम उद्योग स्थापना को एक अलग नियम के अंतर्गत परिभाषित किया है जो कि सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 जो 02 अक्टूम्बर, 2016 से लागू हो गया है है। विकास आयुक का कार्यालय सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल विकास एजेंसी एमएसएमई के रूप में कार्य करता है। एसएमई, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

क्षेत्र	उत्पादन क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
इकाई	प्लांट एंड मशीनरी में निवेश	उपकरण में निवेश
सूक्ष्म इकाइयां	रू. 25 लाख से कम	रू. 10 लाख से कम
लघु इकाइयां	रू. 25 लाख से रू. 5,00 करोड़	रू. 10 लाख से रु 2,00 करोड़
मध्यम इकाइयां	रू. 5,00 करोड़ से रू. 10,00 करोड़	रू. 2,00 करोड़ से रू. 5,00 करोड़

बड़वानी जिला

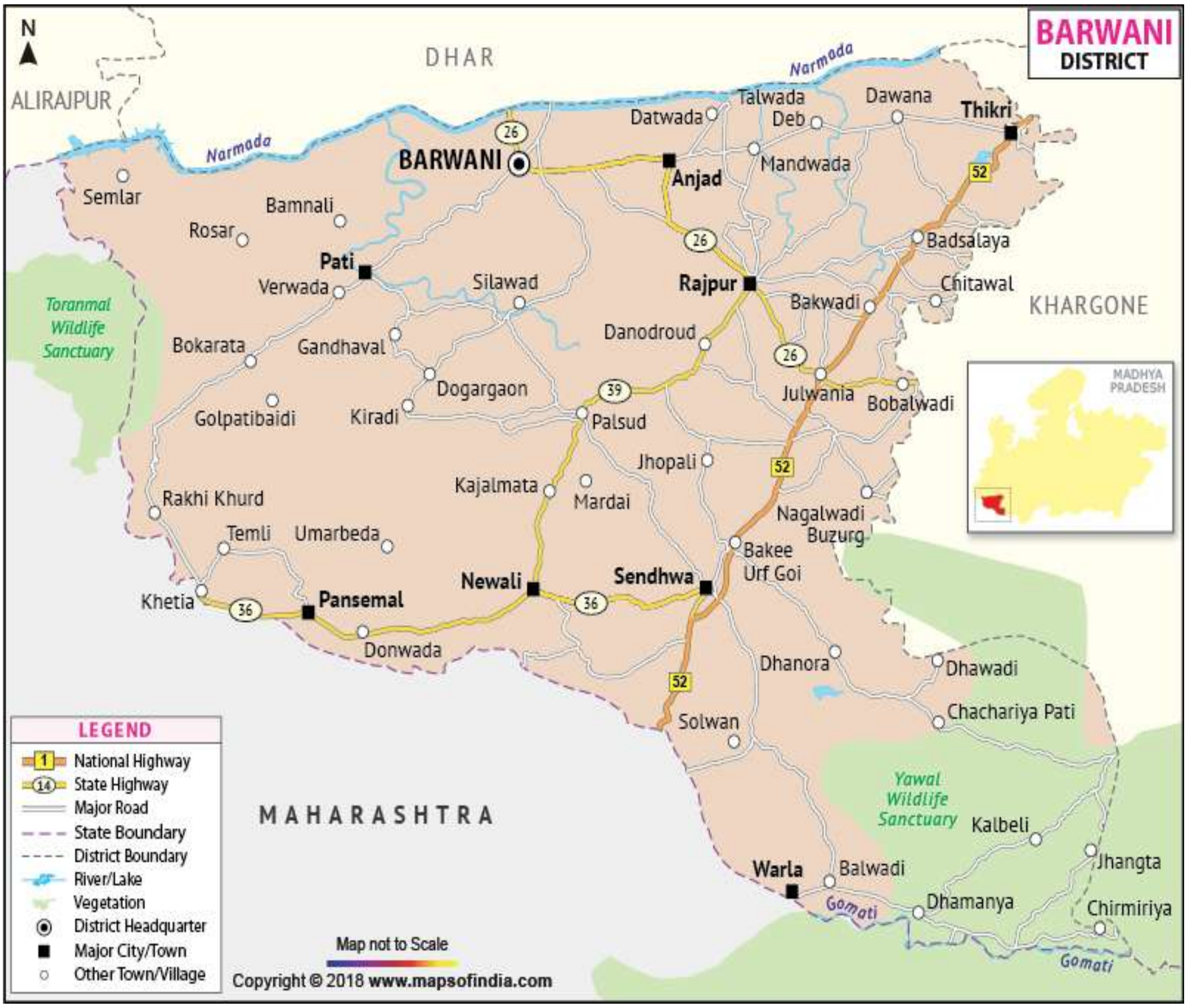

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

बड़वानी जिला मालवा क्षेत्र के इन्दौर संभाग के अंतर्गत आता है, जो नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस जिले में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता पाई जाती है। इन प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिले में अनेक छोटे–बड़े लघु उद्योग स्थापित किए जाने की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं, जिससे जिले के युवा उद्यमियों को अपने ही जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बड़वानी जिला एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला जिला है तथा यह अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह जिला मध्यप्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इन्दौर संभाग के अंतर्गत आता है, जहाँ मध्यप्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर स्थित है, जो अपने उद्योगों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हैं, जिनके माध्यम से वर्षभर आस–पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते रहते हैं।

बड़वानी जिला पीथमपुर से लगभग 130 किमी की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण जिले के अनेक युवा रोजगार की तलाश में पीथमपुर जाते हैं और वहाँ उद्योगों से संबंधित नवीन कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इन कौशलों को सीखकर वे अपने जिले में लौटकर अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उचित मार्गदर्शन का अभाव है। इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई, जिसे संक्षेप में डीआईसी कहा जाता है। इस संस्था की स्थापना 1 मई 1978 को की गई थी, और यह देश के प्रत्येक राज्य में कार्यरत है।

यह संस्था अपने जिले से संबंधित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करती है तथा रोजगार स्थापित करने के लिए मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके माध्यम से युवा अपने ही जिले में स्वरोजगार स्थापित कर अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक आजीविका संचालित कर सकते हैं।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

2. संबन्धित साहित्य का पुनर्रावलोकन

(1) कुमार राजेन्द्र, भाटी जे.एस. और चन्द्र प्रकाश (2019) :– ने अपने शोध पत्र में लघु व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण विकास हेतु प्रयास का अध्ययन किया है। इन्होने अपने शोध में विभिन्न योजनाओं को सम्मिलित किया है जैसे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सम्भवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिनसे अनेक व्यक्ति अपना रोजगार स्थापित कर सके।

(2) बाला रजनी और कुमार राजू (2017) :– लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की भूमिका के बारे में बताया है। इस शोध में बताया है कि उद्योग की प्रक्रिया का इतिहास उतना ही प्राचीन है। जितनी प्राचीन है स्वयं मानव सभ्यता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लघु उद्योगों का तीव्रता से विकास हुआ है। लघु उद्योग क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(3) कुमार आशीष (2014) :– ने अपने शोध में उद्यमशीलता के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का एक अन्वेषणात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में किया है। इनके शोध में यह बताया गया है कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका सराहनीय है जो विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने में तत्पर है एवं ग्रामीण भारत की रीढ़ कहे जाने वाले ये उद्योग विभिन्न स्त्रोतों में विद्यमान जिनको आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित उद्यमशीलता का बढ़ावा देकर विकसित किया जा रहा है, जो गांवों में प्रत्येक स्तर पर ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अग्रसर है। यह शोध मुख्य रूप से अन्वेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा आँकड़ों का संकलन द्वितीय स्त्रोतों द्वारा किया गया है।

(4) सेटी अर्चना (2010) :– छत्तीसगढ़ के चांपा जिले में कुटीर उद्योग एवं उनमें कार्यरत् श्रमिकों की आय एवं रोजगार का विश्लेषण (कोसा उद्योग के विशेष संदर्भ में) इस शोध अध्ययन में उन्होंने कोसा उद्योग के बारे में बताते हुए कोसा उद्योग में लगे श्रमिकों की

आर्थिक स्थिति एवं कोसा उद्योग की विशेषताओं एवं समस्याओं पर प्रकाश डाला और प्राथमिक स्त्रोतों का उपयोग करते हुए अनुसूची के माध्यम से कोसा उद्योग में कार्यरत् श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं तथा उनकी आय एवं रोजगार की स्थिति से संबंधित प्रश्नों को समावेषित किया गया है और निष्कर्ष निकाला है कि चांपा जिले को कोसा उद्योग आज विकास की दिशा में अग्रसर है। अतः शासन को चाहिए बुनकरों की विक्रय व्यवस्था में सुधार करें जिससे निश्चय ही कोसा उद्योग में कार्यरत् श्रमिको की आर्थिक दशा में सुधार आयेगा।

(5) कन्नपियोरम (1992) :– द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मुलन योजना का ग्रामीण निर्धनता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना में सतत रोजगार के कारण ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार आया।

3. शोध अंतराल

उपलब्ध साहित्य एवं प्रस्तुत आँकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों, ग्रामीण विकास योजनाओं तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की सामान्य भूमिका पर अध्ययन किए गए हैं, जिनमें स्वरोजगार योजनाओं, ग्रामीण उद्योगों तथा उद्यमिता विकास के महत्व को रेखांकित किया गया है। तथापि, बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की वास्तविक भूमिका, उसकी योजनाओं की प्रभावशीलता तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में उसकी व्यावहारिक उपलब्धियों का विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम पाया गया है। साथ ही, उपलब्ध आँकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि जिले में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण एवं जनजातीय है तथा कार्यशील जनसंख्या मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, जिसके कारण गैर–कृषि स्वरोजगार के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता अनुभव की है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

4. शोध उद्देश्य

उपलब्ध साहित्य, आँकड़ों तथा बड़वानी जिले की सामाजिक–आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति के आधार पर इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बड़वानी जिले में युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डीआईसी) की भूमिका का समग्र अध्ययन करना है।

5. शोध–प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में बड़वानी जिले में युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की भूमिका का विश्लेषण करने हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बड़वानी की वार्षिक रिपोर्टों, संभाव्यता युक्त ऋण योजनाओं, शासकीय अभिलेखों, प्रकाशित शोध पत्रों, पुस्तकों तथा संबंधित वेबसाइटों से किया गया है। अध्ययन में प्राप्त आँकड़ों को वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध कर उनका विश्लेषण प्रतिशत, तुलनात्मक अध्ययन एवं व्याख्यात्मक पद्धति के माध्यम से किया गया है, जिससे जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की योजनाओं, सेवाओं तथा स्वरोजगार सृजन में उनकी प्रभावशीलता का यथार्थ मूल्यांकन किया जा सके।

6. विश्लेषण एवं व्याख्या

बड़वानी जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की भूमिका–

बड़वानी जिले में जिला उद्योग केन्द्र जिसे डीआईसी भी कहा जाता है। यह केन्द्र उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सहायता प्रदान करता है, जैसे– उद्योगों की स्थापना, वित्तीय सहायता, विपणन एवं तकनीकी मर्गदर्शन देना। बड़वानी में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन् 1978 में शुरू की गई योजना के साथ ही 25 मई, 1998 को हुई थी जो बड़वानी जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय परिक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह क्षेत्र सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित बड़वानी जिले के सेगांव में स्थित है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का भवन दो मंजिलों का बना है। भवन की प्रथम मंजिल

पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का संचालन किया जाता है तथा दुसरी मंजिल पर रोजगार कार्यालय है, जिसमें युवाओं के रोजगार से सम्बन्धित पंजीयन किए जाते है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अपने जिले से सम्बन्धित सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए वित्त एवं स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे युवा अपने क्षेत्र में अपना रोजगार स्थापित करके अपने क्षेत्र में अपनी जीविका चला सके। जिला व्यापार केन्द्र अपने जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जिले का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हो सके।

इस प्रकार जिला उद्योग केंद्र एक जिला – स्तरीय संस्था है जो अपने जिले की सभी लघु इकाइयों व साहसियों को उद्योगों की स्थापना व विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं, साधनों एवं सहायताओं को उपलब्ध कराती है। इन सुविधओं में वित्त एवं साख, कच्चा माल, लाइसेंस स्वीकृति, संयन्त्र व मशीनें, तकनीकी परामर्श, पूर्व, विनियोजन के समय एवं विनियोजन के पश्चात् प्रदान की जाती हैं।

बड़वानी जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्य

1. **ऋण एवं अनुदान–**बड़वानी जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एक ऐसी संस्था है, जो अपने जिले के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करते है। जिला व्यापार केन्द्र सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए शासन द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अनुदान की राशि सन्तुलित उपयोग किया जाता है।
2. **सुविधा उपलब्ध कराना–** बड़वानी जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अपने जिले से सम्बन्धित छोटे–बड़े उद्योगों का पंजीयन करने का कार्य करता है साथ ही उनकी स्थापना के लिए शासन द्वारा प्रदत्त आवश्यक सुविधाओं की सहयोग राशि का भी आवंटन करता है।
3. **परामर्श प्रदान करना–** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के उद्योगों की स्थापना हेतु नये उद्यमियों एवं कामगारों को सहायता प्रदान

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

करना एवं उद्यमियों को पूँजी विनियोजित करने परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में परामर्श प्रदान करता है।

4. **तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान–** बड़वानी जिला इन्दौर सम्भाग के अन्तर्गत आता है, जिसे मध्यप्रदेश सरकार की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। जिसके कारण बड़वानी के युवा इन्दौर से तकनीकी के नए–नए कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते है एवं बड़वानी में जिला व्यापार केन्द्र इन युवाओं को अपने कौशल के अनुसार रोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान करते है।
5. **रूग्ण इकाईयों का पुनर्जीवन–** जिला व्यापार केन्द्र अपने जिले में रूग्ण हो रही एवं बन्द होने की अवस्था में आने वाली इकाईयों को तकनीकी सहायता एवं वित्त सहायता प्रदान करके उन्हे पुनर्जीवित करने का कार्य करते है।
6. **स्वरोजगार की प्रेरणा–** बड़वानी जिला जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला जिला है यहां की कुल जनसंख्या का 85.28 प्रतिशत गांवों में निवास करता है यहां के युवा अपने परिवार के साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहते है, जिला व्यापार ऐसे युवाओं को स्वरोजगार योजना के लिए प्रेरणा प्रदान करने के साथ–साथ लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के माध्यम से अपने क्षेत्र में अपना रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते है।
7. **विभिन्न योजनाओं से लाभ पहुचाना–** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में शसन द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है, जैसे– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, युवा उद्यमी योजन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इन योजनाओं की जानकारी अपने अपने क्षेत्र में पहुचाना एवं इनका लाभ लेकर जिले में रोजगार स्थापित करने की प्रेरणा प्रदान करना।
8. **परियोजना प्रतिवेदन–** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य परियोजना प्रतिवेदन है, यह संस्था अपने जिले के युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए उचित

मार्गदर्शन देने के साथ ही साथ उद्योग स्थापित करने का परियोजना प्रतिवेदन बनाने में सहायता प्रदान करते है।

9. **प्रशिक्षण–** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अपने जिले से सम्बन्धित युवाओं को रोजगार संचालित करने के लिए समय–समय पर रोजगार से सम्बन्धित मार्गदर्शन एवं उद्यमी विकास प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था एवं सहयोग भी प्रदान करते है।
10. **भूमि आवंटन–** जिला उद्योग केन्द्र अपने जिले के क्षेत्राधिकार में आनेवाले औद्योगिक क्षेत्र/प्रक्षेत्रों में इच्छुक उपयुक्त उद्यमियों को रोजगार स्थापित करने हेतु भूमि तथा शेड का आवंटन भी कराता है।
11. **सभी वर्गों को रोजगार–** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अपने जिले से सम्बन्धित नये उद्यमियों की पहचान कर औद्येगिक विकास हेतु कार्यरत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते है।
12. **विभिन्न संस्थाओं को सहयोग–** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिले में रोजगार संचालित करने में विभिन्न संस्थाओं से ऋण राशि का सहयोग उद्योगों को प्रदान करवाता है, जैसे–एन.एस.आई.सी.,एस.आई.डी.बी.आई.,एस.आई.डी.बी.आई आदि।

तालिका क्रमांक 1.

बड़वानी जिले में जनसंख्या का विवरण हजार में

प्रवर्ग	कुल	पुरूष	स्त्री	ग्रामीण	शहरी
जनसंख्या	1385.88	699.34	686.54	1181.81	204.07
अनुसूचित जाति	87.99	44.48	43.51	64.34	23.65
अनुसूचित जनजाति	962.14	482.18	479.96	925.65	36.49
साक्षर	549.92	313.64	236.28	413.15	136.77
गरीबी रेखा से नीचे	140.00	–	–	–	–

स्त्रोत– संभाव्यता युक्त ऋण योजना जिला बड़वानी

तालिका क्रमांक 1 में बड़वानी जिले की जनसंख्या से संबंधित प्रमुख आँकड़ों का विवरण हजार में प्रस्तुत किया गया है। तालिका के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1385.88 हजार है, जिसमें पुरुषों की संख्या 699.34 हजार तथा महिलाओं की संख्या 686.54 हजार है, जो लगभग संतुलित लिंगानुपात को दर्शाती है। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिले की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या 1181.81 हजार तथा शहरी जनसंख्या 204.07 हजार है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 87.99 हजार है, जिसमें पुरुष 44.48 हजार एवं महिलाएँ 43.51 हजार हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 962.14 हजार है, जो जिले में जनजातीय बाहुल्य की स्थिति को स्पष्ट करती है। इनमें 482.18 हजार पुरुष तथा 479.96 हजार महिलाएँ शामिल हैं, तथा इनकी अधिकांश संख्या 925.65 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि केवल 36.49 हजार शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। साक्षरता के आँकड़ों के अनुसार जिले में कुल साक्षर जनसंख्या 549.92 हजार है, जिसमें 313.64 हजार पुरुष एवं 236.28 हजार महिलाएँ सम्मिलित हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली जनसंख्या लगभग 140.00 हजार दर्शाई गई है, जो जिले की आर्थिक स्थिति एवं विकास की चुनौतियों को इंगित करती है।

तालिका क्रमांक 2.

बड़वानी जिले में कामकाजी व्यक्तियों का ब्योरा हजार में

कृषक	**287.70**
इसमें से लघु/सीमांत कृषक	248.66
खेतिहर मजदुर	24.93
घरेलु उद्योग से जुड़े कामगार	7.45
कृषि की सहायक गतिविधियों से जुड़े कामगार	114.98

अन्य कामगार	91.46

स्त्रोत– संभाव्यता युक्त ऋण योजना जिला बड़वानी

तालिका क्रमांक 2 में बड़वानी जिले के कार्यरत व्यक्तियों का व्यवसायानुसार विवरण हजार में प्रस्तुत किया गया है। आँकड़ों के अनुसार जिले में कृषकों की संख्या 287.70 हजार है, जिनमें से अधिकांश 248.66 हजार लघु एवं सीमांत कृषक हैं, जो यह दर्शाता है कि जिले की कृषि व्यवस्था मुख्यतः छोटे किसानों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों की संख्या 24.93 हजार है, जो कृषि कार्यों पर निर्भर श्रमशक्ति को इंगित करती है। घरेलू उद्योगों से जुड़े कामगारों की संख्या 7.45 हजार है, जबकि कृषि की सहायक गतिविधियों, जैसे पशुपालन एवं अन्य संबंधित कार्यों से जुड़े कामगारों की संख्या 114.98 हजार है। इसके अलावा अन्य कार्यों में संलग्न कामगारों की संख्या 91.46 हजार है। समग्र रूप से यह स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले की कार्यशील जनसंख्या मुख्यतः कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र ही है।

तालिका क्रमांक 3.

बड़वानी जिले में उद्योगों की संख्या पूंजी निवेश एवं रोजगारो की संख्या

वर्ष	स्थापित उद्योगों की संख्या	रोजगार संख्या	विनियोजित पूंजी लाख में
2012–13	253	645	2845.24
2013–14	250	580	1565.07
2014–15	202	456	197.46
2015–16	637	2157	6447
2016–17	1645	2887	7197
2017–18	3439	4921	18371
2018–19	2217	2605	6741
2019–20	4031	6831	18821
2020–21	89	1294	6155
2021–22	223	1925	2513
योग	12986	24301	70852.77

स्त्रोत– जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बड़वानी

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

रेखाचित्र क्रमांक 4.1
बड़वानी जिले में उद्योगों की संख्या, रोजगारो की प्राप्ती एवं पूंजी निवेश

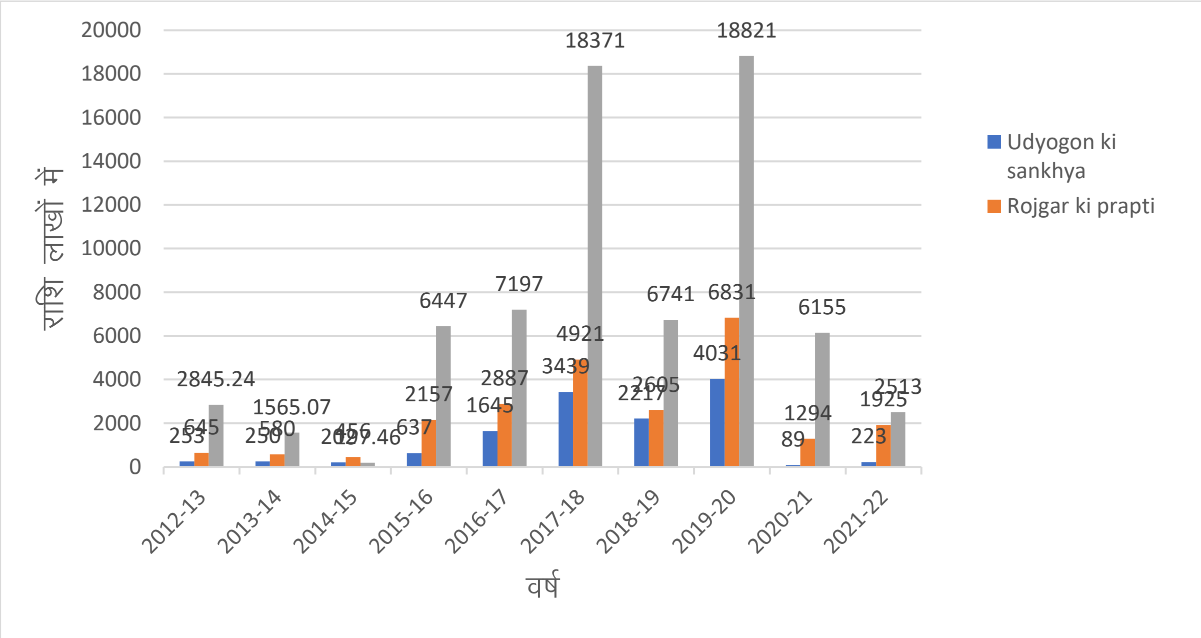

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त आंकड़ों से बड़वानी जिले में विगत दस वर्षों में कुल 12986 सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए है जिनमें विनियोजित पूंजी 70852.77 लाख रूपये की पूंजी विनियोजित की गई तथा 24301 लोगों को रोजगार प्राप्त हुए।

7. सुझाव

1. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अपने जिले से सम्बन्धित समस्त सुक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योगों में लगे युवाओं की जानकारी होनी चाहिए जिससे बेरोजगारी के आकड़ों में सुधार किया जा सके।
2. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा समय–समय पर अपनी संस्था से सम्बन्धित योजनाओं को प्रचार–प्रसार करना चाहिए।
3. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में उचित ऋण एवं वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अपने जिले से सम्बन्धित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को कच्चा माल उचित कीमत पर उपलब्ध करना चाहिए।
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मिलने वाला अनुदान स्वीकृत होने में सरल स्पष्ट नियम होना चाहिए ताकि युवा आसानी से अनुदान को प्राप्त कर उद्योगों का संचालन कर सके।
6. जिले से सम्बन्धीत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की परियोजना एवं विभिन्न सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स को साहसियों एवं कामगारों के बारे में सूचनओं का निरन्तर प्रकाशन किया जाना चाहिये।
7. जिला उद्योग केन्द्रो के कार्यक्रमों की प्रगति, उपलब्धियों एवं समस्याओं के बारे में सूचनाओं का निरन्तर प्रकाशन किया जाना चाहिये।
8. जिला व्यापार केन्द्र द्वारा ऋण इकाइयों का पता लगाकर उन्हें पुनर्जीवित करने हेतु अधिकतम वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए।
9. जिला उद्योग केंद्रों की कार्यप्रणाली का उचित नियोजन किया जाना चाहिये। साथ ही, इनकी प्रगति के मूल्यांकन हेतु उचित नियन्त्रण व्यवस्था लागू की जानी चाहिये।
10. केंद्र के सभी क्रियात्मक प्रबन्धकों एवं परियोजना अधिकारियों में एक उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।
11. जिला स्तरीय औद्योगिक समिति को समन्वयकारी भूमिका भी सौंपी जानी चाहिये ताकि वह विभिन्न संस्थओं व निगमों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर सके।
12. जिले में साहसियों की खोज के लिए सुदृढ़ साहस विकास कार्यर्क्रम संचालित किये जाने चाहिये।

8. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बड़वानी जिले में युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डीआईसी) की भूमिका महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली रही है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

की स्थापना में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जिससे रोजगार सृजन के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 से 2021–22 की अवधि में कुल 12,986 उद्योग स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से लगभग 24,301 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ तथा 70,852.77 लाख रुपये की पूंजी का निवेश किया गया, जो जिले के औद्योगिक विकास की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या एवं कार्यशील व्यक्तियों के आँकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ कि जिले की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण एवं जनजातीय है तथा कार्यशील जनसंख्या का प्रमुख भाग कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। ऐसे में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा, प्रशिक्षण, परामर्श एवं योजनाओं के प्रचार–प्रसार ने युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

9. संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. व्यावसायिक वातावरण एवं उद्यमिता– गुप्ता एवं चतुर्वेदी, महावीर प्रकाशन, दिल्ली, 2013
2. लघु एवं कुटीर उद्योग – एन. पी. सी. एस. क्रियेटिव Creative Publication, 106.E कमला नगर दिल्ली
3. त्रिपाठी, एन. सी.– उद्यमिता रमेश प्रकाशन मेरठ
4. गुप्ता, ओम प्रकाश जी. पी. एवं कश्यप, एस. पी.–लघु उद्योग एवं महिला उद्यमिता वर्तमान स्थिति और विश्लेषण
5. डॉ. अग्रवाल के. बी. उद्यमिता विकास
6. 'लघु उद्योगों में उद्यमिता विकास' उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 2022
7. 'भारत में उद्यमिता विकास'– डॉ. एस. पी. माथुर, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2007
8. 'उद्यमिता विकास'– डॉ. बी. एल. गुप्ता एवं डॉ. अनिल कुमार, क्वालिटी पब्लिशिंग हाउस, भोपाल 2006
9. 'उद्यमिता विकास –ए'– डॉ. मिलिंद कोठारी, मिश्रा, साहू–रमेंश बुक डिपो, जयपुर 2009

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

10. वार्षिक प्रतिवेदन– उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
11. https://msme.gov.in
12. http://decmsme.gov.in
13. http://barwani.gov.in